न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

पीठासीन अधिकारी:–गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–6/2016 (2016/00202) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–सुखकवंर पत्नि महावीरसिंह राजपुत निवासी नान्दशा जांगीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–रामलाल आत्मज रूपा बैरवा (चमार) निवासी नान्दशा जांगीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–हीरालाल आत्मज रूपा बैरवा (चमार) निवासी नान्दशा जांगीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–लेहरी पत्नि रूपा बैरवा (चमार) निवासी नान्दशा जांगीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.</u>

उपस्थित

1.हरिश टेलर **अधिवक्ता प्रार्थीया**

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं खातेदारी हक अधिकारो की हाल आराजी संख्या 1415 अन्य आराजियात के साथ ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 444 थे। प्रमाण में हाल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल साथ पेश है। साबिक आराजी संख्या 444 का नक्शा आयताकार होकर चौरस था। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उक्त साबिक आराजी के नवीन नम्बर 1415 कायम किये गये जिसका रकबा सही अकित किया लेकिन भु–प्रबन्ध अधिकारियो व कर्मचारियो के मन मकसुद तरीके से बिना किसी विधिक आदेश के साबिक आराजी के नक्शे के अनुरूप नवीन आराजी का नक्शा कायम नही कर नवीन नक्शे के पूर्वी दक्षिणी कोने को घुमाव देकर पांच कोणिय कर दिया जिसका उन्है कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है जिसके साबिक आराजी के नक्शे अनुरूप से नवीन नक्शा कायम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही करने की जानकारी होने पर मैने दिनांक 19.05.16 को विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 को नक्शे में संसोधन कराने हेतु तहसील कार्यालय में चलने बाबत् कहा तो विपक्षीगण इन्कार हो गये जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.16 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 1 लैण्ड होल्डर होने से तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 प्रभावित पक्षकार होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 से 4 आवजुद सुचना के उपसिथत नही है जिससे उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो सामिल फाईल किया गया।

मैने पत्रावली एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जबाव में वर्तमान

जस्व रेकार्ड एवं गत राजस्व रेकार्ड का मिलान किया तो पाया गया कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर की हाल आराजी संख्या 1415 के राजस्व नक्शे को साबिक आराजी संख्या 444 के नक्शे के अनुरूप संसोधित कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाना तथा साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम कर दुरूस्ती का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर की हाल आराजी संख्या 1415 के राजस्व नक्शे को साबिक आराजी संख्या 444 के नक्शे के अनुरूप संसोधित कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाना तथा साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम कर दुरूस्ती का आदेश दिया जाता है।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा